भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2715
उत्तर देने की तारीख: 16.12.2025

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग

2715. **श्री नारायण तातू राणे:**
डॉ. रबीन्द्र नारायण बेहेरा:
डॉ. संजय जायसवाल:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जयपुर लोक सभा क्षेत्र सहित देश में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा दी जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है;
(ख) इस पहल के अंतर्गत कितने छात्र कवर किये जाएंगे तथा इस योजना के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की कितनी श्रेणियां शामिल की गई हैं;
(ग) पात्र अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया क्या है तथा उन्हें किस तरह सहायता प्रदान की जाती है; और
(घ) सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं समान अवसर की उपलब्धता को प्रोत्साहित करने में इस पहल के उद्देश्य तथा अपेक्षित परिणाम क्या हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने जयपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित सम्पूर्ण भारत के अनुसूचित जातियों (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और पीएम केयर्स चिल्ड्रेन के लाभार्थियों के 5000 उम्मीदवारों को प्रति वर्ष निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने के लिए फिजिक्स वाला (पीडब्ल्यू) फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि वे सिविल सेवा की परीक्षा, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की परीक्षा और बैंकिंग परीक्षा में बैठ सकें।

(ग): इस पहल के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से योग्यता आधारित है, जिसमें लाइव/रिकार्डेड कक्षाएं, टेस्ट सीरीज, पिछले वर्ष के प्रश्नपत्र, अध्ययन सामग्री, परामर्श, शंका समाधान सहायता और काउंसलिंग सहित सुव्यवस्थित ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की नि:शुल्क उपलब्धता शामिल है।

(घ): इस पहल से लाभार्थियों को ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध होगी जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने में मदद मिलेगी।

*****